पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत Lake Front Development work (Badrish Lake) (THDC CSR मद के अन्तर्गत) की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, पौडी गढवाल।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री धर्मेश गंगानी, आई0एन0आई0 डिजाइन स्टूडियों, अहमदाबाद।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री बद्रीनाथ धाम में क्षेत्रान्तर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण हेतु बद्रीश लेक का लेक फ्रान्ट डेवेलमेन्ट का कार्य प्रस्तावित किया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के अन्तर्गत विगत वर्षो से तीर्थयात्रियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हो रही है, अतः उक्त योजना से धाम में निवासरत एवं तीर्थयात्री को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकृषित करने एवं स्थानीय विकास में लाभ प्राप्त होगा। निर्माण कार्य टी0एच0डी0सी0 से सी0एस0आर0 मद में प्राप्त धनराशि रू0 13.00 करोड़ के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।

3. **योजना प्राविधान** :– परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–
   1. पब्लिक यूटिलिटी भवन का निर्माण।
   2. Lake Retention work.
   3. लेक सफाई तथा सौन्दर्यीकरण कार्य।
   4. जियोटेक्सटाईल का कार्य।
   5. पैदल पथ निर्माण कार्य।
   6. सुरक्षा दीवार का कार्य।
   7. विद्युतीकरण का कार्य।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

4.1 कार्य के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है।

4.2 क्षेत्र की Geo Technical Investigation का कार्य टी0सी0एस0 Consultancy, GMS Road, Dehradun द्वारा किया गया है मिट्टी की सुरक्षित भार वहन क्षमता भू सतह से 1.5 मीटर गहराई में 20 टन प्रति वर्ग मीटर एवं 2.00 मीटर गहराई में 25 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है।

4.3 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम स्तर से अवश्य Vett करायी जाय।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.4 विद्युत उपकरणों Warranty अवधि के सम्बन्ध में आगणन में स्पष्टता उल्लेखित नहीं है।

4.5 विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध में Cost Effectiveness and Energy efficient प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

4.6 बद्रीश लेक Elliptical Shape में है, झील के चारों ओर 5 मीटर चौडाई में CC M-35 interlocking paved पैदल पथ का निर्माण प्रस्तावित है तथा एक ओर linear Park विकसित किया जाना है। पार्क एवं पैदल पथ में स्मार्ट विद्युत पोल एवं स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी कार्यो का प्राविधान किया गया है।

4.7 पैदल पथ के साथ जन सुविधाओं के विकास हेतु यूटिलिटी बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जिसमें महिला एवं पुरूष शौचालय (Male-2 No. WC + 24 urinal + 8 washbasin and Female – 7 WC, + 8 Washbasin) उक्त के साथ महिला एवं पुरूषों के लिए शुद्ध पेयजल की पर्याप्त सुविधा दी गयी है।

4.8 लेक में Water Retention के लिए Floor में Geo Textile Membrane ली गयी है जिसमें Filter Media से जल संरक्षण प्रस्तावित किया गया है तथा लेक के Slopes में बोल्डर पिचिंग प्रस्तावित की गयी है।

4.9 Public Unility Building में Fire Safety का प्राविधान किया गया है कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Fire Safety से सम्बन्धित प्राविधानित कार्यो को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

4.10 योजना के सम्बन्ध में अनावर्तक व्यय के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्षवार आवर्तक व्यय का प्राविधान आगणन में नहीं किया गया है जो कि किया जाना आवश्यक है।

4.11 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI	NSI (Dept.)
1	Civil Works (Building	164.11	-	10.04	
2	Lake Protection Work	66.34	123.92	-	
3	Plumbing Work	14.57	-	153.16	
4	PHE	15.46	-	-	-
5	Electrical Work	18.54	-	299.91	3.30
	Total	**279.02**	**123.92**	**463.11**	**3.30**
	Add labour cess on electrical Item @1% (on Rs 18.54)	0.19	-	-	-
	Sub Total	**279.21**	**123.92**	**463.11**	**3.30**
	Add Cost Index @33%	92.14	-	-	-
	Sub Total-A	**371.35**	**123.92**	**463.11**	**3.30**
	Add Contingency 3% + QC 1%	14.85	4.96	18.52	-
	Sub Total-B	**386.20**	**128.88**	**481.63**	**3.30**
	Add GST @12% on A (SOR Rs 12.92)	-	14.87	-	-
	Add O&M for 5 year on electrical and plumbing work on Rs 496.18	-	-	36.46	
	Total	**386.20**	**143.75**	**518.09**	**3.30**
	Grand Total	**1051.34**			

परियोजना की कुल लागत :– रू0 **1051.34** लाख

(हस्ताक्षर)

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव, पर्यटन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में रू0 1300.00 लाख [(रू0 1051.34 लाख (प्रस्तर-4.11 के अनुसार) + रू0 248.66 लाख (Smart Infrastrcture and Murals-Sculptures इत्यादि)] को निम्न **निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-**

5.1 Smart Infrastrcture and Murals-Sculptures इत्यादि कार्यो हेतु रू0 248.66 लाख धनराशि Lumpsum सम्मिलित की गयी है जिसे टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा मदवार विवरण /एस0ओ0आर0, डी0एस0आर0 में दरे न होने के कारण अनुमन्य नहीं किया गया है।

उक्त के क्रम में Smart Infrastrcture and Murals-Sculptures इत्यादि हेतु प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निविदा कार्यवाही के उपरान्त सम्यक् वित्तीय प्रस्ताव पर नियोजन विभाग से टी0ए0सी0 परीक्षण कराते हुए नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

5.2 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों (यथा एन0जी0टी0, Building Byelaws इत्यादि) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.3 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.4 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforce Steel हेतु शत-प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय-समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.6 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.7 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.8 आगणन में डी0एस0आर0 2018 एवं लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2021-22 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.9 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.11 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः पृष्ठ-4/-

5.12 विद्युत कार्यो में 05 वर्षो के अनुरक्षण हेतु 7.50 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया गया है। अनुरक्षण हेतु Service Level Parameter निर्धारित करते हुए निविदा में उनका समावेश सुनिश्चित किया जाय तथा अनुबन्ध में अनुरक्षण के सम्बन्ध में Graded Panelty के प्राविधान का अवश्य समावेश किया जाय।

5.13 पब्लिक यूटिलिटी स्पेस में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

5.14 Lake को स्वच्छ रखने के लिए Airation and Cleaning का प्राविधान अवश्य किया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.14 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंचार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1313/765/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/पर्यटन/2021
देहरादूनः दिनांकः 14, अक्टूबर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव